

कार्यालय आदेश

श्री महेन्द्र कुमार यादव, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी उदयपुर (शहर) के पत्र क्रमांक 63 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अग्रेषित आवेदन के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमारण्डेम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 26.12.2025 से 31.12.2025 तक (कुल 06 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री महेन्द्र कुमार यादव, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/1061
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 09-03-2026

1. कोषाधिकारी उदयपुर (शहर)
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. श्री महेन्द्र कुमार यादव, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी उदयपुर (शहर)
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.03.09 12:55:12 IST
Reason: Approved

